न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

गणेशराम पुत्र वरदीरामजी, जाति-कुम्हार, निवासी-अरठवाडा, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज

राजस्व अपील संख्या: 04/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. श्री महावीर सिंह देवडा, अपीलार्थी के अधिवक्ता
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 172/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2018 बावत ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 554/1 रकबा 0.06 बीघा किस्म ओरण भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं विधि के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर किये बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थित में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि राजस्थान भू राजस्व अधनियम, 1956 की धारा 98 के तहत तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 554/1 रकबा 7.19 बीघा भूमि में से 500 वर्गगज भूमि का दिनांक 11.11.1982 को वाडा हेतु आवंटन किया गया था, तब से अपीलार्थी मौके पर लगातार काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार, अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी नही माना जा सकता है। अपीलार्थी विवादित भूमि पर उक्त आवंटन होने से मौके पर काबिज है एवं मौके पर निवास कर रहा है एवं विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलार्थी को

.....पेज दो पर

वर्ष 1982 से आदिनांक तक विवादित भूमि से कभी भी बेदखल नही किया गया है। अपीलार्थी विवादित भूमि पर अपने पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि का राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अपने पक्ष में नियमन कराने का अधिकार रखता है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, डाडुआ द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा संवत 2075 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 554/1 कुल रकबा 7.19 बीघा में से रकबा 0.06 बीघा किस्म ओरण भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस की व्यक्तिशः तामिल करवाई गई है। जिस पर अपीलाधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी का पुत्र मोहनलाल उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। अपीलार्थी द्वारा लिखित जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि जवाब अनुसार उक्त भूमि एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 98 के तहत आवंटन की गई है, जो अस्थाई है। अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना नही कर मौके पर निर्माण किया है। हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि टीनशेड निर्माण किया है। चूंकि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.23 18:40:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: